

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अगस्त 2016—श्रावण 12, शक 1938

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2016

क्र. एफ. 3-92-2013-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(8) होमगार्ड के स्वयंसेवी नगर सैनिकों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा.”

No. F-3-92-2013-X-1.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Class-III (Non-Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rules 11, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be added, namely :—

“(8) 30 percent horizontal reservation shall be provided to the Home Guard Voluntary Nagar Sainik.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.